

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 8860.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 88,60,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 2

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 1750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।